भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1386

दिनांक 28.07.2021 को उत्तर देने के लिए

पी.एल.आई. योजना

1386. श्री नायब सिंह सैनी:
श्री संजय भाटिया:

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन विभागों के नाम क्या हैं जिनमें सरकार का देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पी.एल.आई.) योजना की शुरुआत के साथ विनिर्माण क्षेत्र में समग्र परिवर्तन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का पी.एल.आई. योजना के तहत भारत में अपनी इकाइयां स्थापित करने और निर्यात करने पर कंपनियों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ विशेष रियायत प्रदान करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पी.एल.आई. योजना के तहत हरियाणा सरकार के सहयोग से कितनी कंपनियों ने अपनी इकाइयां स्थापित की हैं; और

(च) तत्संबंधी जिले-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्य मंत्री (कारपोरेट कार्य मंत्रालय)

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख): सरकार ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और निर्यात बढ़ाने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) शुरू करने का निर्णय लिया है। पीएलआई योजनाओं के प्रथम सेट की शुरुआत मार्च 2020 में तीन क्षेत्रों में की गई थी। इसके विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	क्षेत्र	लागू करने वाला मंत्रालय/ विभाग	वित्तीय परिव्यय (करोड़ रु में)
1.	मोबाइल विनिर्माण और विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	40951

2.	महत्वपूर्ण मुख्य प्रारंभिक सामग्री/औषधि मध्यवर्ती संस्थाएँ और सक्रिय औषधि सामग्री	औषध विभाग	6940
3.	चिकित्सा उपकरणों का निर्माण	औषध विभाग	3420
कुल			**51311**

सरकार ने नवम्बर, 2020 में दस अतिरिक्त क्षेत्रों में पीएलआई योजना शुरू करने का निर्णय लिया था। तत्संबंधी ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	क्षेत्र	लागू करने वाला मंत्रालय/ विभाग	वित्तीय परिव्यय (करोड़ रु में)
1.	एडवान्स्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी	भारी उद्योग विभाग	18100
2.	इलेक्ट्रॉनिकी/प्रौद्योगिकी उत्पाद	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	5000
3.	ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक	भारी उद्योग विभाग	57042
4.	फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स	औषध विभाग	15000
5.	दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद	दूरसंचार विभाग	12195
6.	वस्त्र उत्पाद: एमएमएफ खंड और तकनीकी वस्त्र	वस्त्र मंत्रालय	10683
7.	खाद्य उत्पाद	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	10900
8.	उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	4500
9.	वाइट गूड्स (एसी और एलईडी)	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	6238
10.	विशिष्ट स्टील	इस्पात मंत्रालय	6322
कुल			145980

24 फरवरी, 2021 को एक अनुवर्ती निर्णय के फलस्वरूप, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए वित्तीय परिव्यय को संशोधित करके 197291 करोड़ रुपये के समग्र वित्तीय आवंटन के तहत 7350 करोड़ रुपये कर दिया है।

(ग) और (घ): पीएलआई योजना के तहत भारत में अपनी इकाइयां स्थापित करने और निर्यात करने के संबंध में कंपनियों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ विशेष रियायत देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पीएलआई योजना के तहत पात्र कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन बढ़े हुए उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ही दिया जाएगा। ये प्रोत्साहन निर्यात पर आकस्मिक नहीं हैं। पीएलआई योजनाओं के लाभार्थियों को सरकार की अन्य मौजूदा योजनाओं के अनुसार अन्य लाभ और रियायतें, जो लागू हों, उपलब्ध होंगी।

(ङ) और (च): इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पीएलआई योजनाओं के तहत स्वीकृत नेटवेब, फरीदाबाद और वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज, आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम की हरियाणा में अपने विनिर्माण सुविधा केंद्र हैं। हालांकि, ये दोनों विनिर्माण सुविधा केंद्र हरियाणा सरकार के सहयोग से स्थापित नहीं हुए हैं।

*****